संख्या- /2016/ /पांच-6-16-2(नि0)/14

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषय-: वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामु0स्वा0केन्द्र, औरास, उन्नाव के भवन निर्माण कार्य की प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10806/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 21.11.16 व शासनादेश संख्या-29/1199/पॉच-6-14-2(नि0)/14 दिनांक 26.08.14 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश 26.08.14 द्वारा सामु0स्वा0केन्द्र, औरास, उन्नाव के भवन निर्माण कार्य के लिये रू0-374.14 लाख की मूल स्वीकृति मानकीकृत लागत के आधार पर निर्गत की गयी। तदोपरान्त उक्त सामु0स्वा0केन्द्र के भवन निर्माण के लिये विस्तृत आगणन को पी0एफ0ए0डी0 द्वारा रू0-567.19 लाख मूल्यांकित किया गया।

2- अतएव आपकी उक्त संस्तुति व पी0एफ0ए0डी0 द्वारा उक्त मूल्यांकित लागत के आधार पर सामु0स्वा0केन्द्र, औरास, उन्नाव के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये रू0-567.19 लाख (रूपया पॉच करोड़ सड़सठ लाख उन्नीस हजार मात्र) की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-:

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-29/1199/पॉच-6-14-2(नि0)/14 दिनांक 26.08.14 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय वित्त समिति की शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करनें से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत् प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य

योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(8) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी कार्य मदें जिनकी कार्य दरें लोक निर्माण की दर अनुसूची में उपलब्ध नहीं है, की लागत आकलन बाजार दरों पर किया गया है। बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा ।

(11) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(12) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(13) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो।

(15) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

(16) शेष शर्तें शासनादेश संख्या-29/1199/पॉच-6-14-2(नि0)/14 दिनांक 26.08.14 की यथावत रहेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या-वित्त ई0-3-1788/दस-16 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या- 10 \2016/ 2009 (1)/पॉच-6-16 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उन्नाव ।
4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव ।
5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- संबंधित प्रबन्ध निदेशक/निदेशक /परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, उन्नाव ।
9- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
10- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
11- विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या- /2017/ /पांच-6-17-78(निर्माण)/16

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पुरूष/महिला चिकित्सालयों में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत स्वामी कल्याण देवी राजकीय जिला चिकित्सालय (पुरूष) एवं जिला महिला चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर के आन्तरिक सड़के एवं नालियों के सुदृढ़णीकरण प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या- 11170/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 22.12.2016 तथा महानिदेशक के पत्र संख्या-10697/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 16.11.2016 व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या- जि0चि0/निर्माण कार्य/2016/865 दिनांक 04.07.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला पुरूष/महिला चिकित्सालयों में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत स्वामी कल्याण देवी राजकीय जिला चिकित्सालय (पुरूष) एवं जिला महिला चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर के आन्तरिक सड़के एवं नालियों के सुदृढ़णीकरण हेतु रू0 185.35 लाख (रूपया एक करोड़ पचासी लाख पैतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 92.68 लाख (रूपया बानवे लाख अड़सठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 की व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(2) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका तथा निर्माण इकाई के सक्षम अधिकारी द्वारा एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जायेगा और निर्माण इकाई को उक्त धनराशि एम0ओ0यू0 निष्पादित होने पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य को प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(6) निर्माण अवधि में प्रस्तावित परियोजना के स्कोप डिजाइन/ड्राइंग में परिवर्तन शासन की अनुमति के बिना न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

(8) प्रस्तावित कार्यो का व्यय स्वीकृति आगणनों की सीमा तक ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अधिक अनिधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।

(9) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता संतुष्ट होने पर एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

(10) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(12) आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-42 जिला पुरूष/महिला चिकित्सालयों में सुधार, विस्तार एवं नवीनीकरण-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 12 /2017/ 3126 (1)/पाँच-6-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा – परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, मुजफ्फरनगर।
4- अपर निदेशक, (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- निदेशक (चिकित्सा उपचार/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
7- अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, 'उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 (यू0पी0 स्टेट कन्सट्रशन एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0), मुजफ्फरनगर।
10- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, स्वामी कल्याण देव राजकीय जिला चिकित्सालय (पुरूष)/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर।
11- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
12- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
13- विभागीय वेब मास्टर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।